:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 32 / 2024 दायर दिनांक : 15.05.2024

छगनलाल पुत्र टेटीराम जाति लबाना निवासी निठाउवा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

––प्रार्थी

बनाम

1. कबु पुत्र टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना
2. गोबरलाल पुत्र टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना
3. नानी पुत्री टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना
4. फतेसिंह पुत्र टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना
5. मथुरलाल पुत्र टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना
6. मांगीलाल पुत्र टेटा उर्फ टेटीराम जाति लबाना निवासी निठाउवा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
7. भूमिधारक तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राज.।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।

2 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 13 / 10 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्व.टेटा उर्फ टेटीराम लबाना की सन्ताने है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का पीढीनामा निम्न प्रकार है।

टेटा उर्फ टेटीराम लबाना

कबु | गोबरलाल | नानी | फतेसिंह | मथुरलाल | मांगीलाल | छगनलाल

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की गॉव निठाउवा के जमाबन्दी खाता सख्या 68 कें खसरा सख्या 135, 140, 141, 155, 302, 311, 317, 320, 322, 324, 325, 326, 344, 371, 382, 472, कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 3.5371 हैक्टेयर भूमि है, प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त दर्ज किए गए नामानतरण में प्रार्थी का घरेलु नाम

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

सज्जनसिंह दर्ज कर लिया हे प्रार्थी का सहीं एवं दस्तावेजी नाम छगनलाल पुत्र टेटीराम लबना निवासी निठाउवा है। कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उसका घरेलु नाम दर्ज होने से पीएम किसान सम्मान निधी का लाभ एवं अन्य सरकारी लाभ से वंचित हो गया है, जिससे प्रार्थी को कई प्रकार से परेशानीयो का सामना करना पडता है कि सज्जनसिंह एवं छगनलाल दोनो ही नाम प्रार्थी के ही है प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी के सबध में सज्जनसिंह एवं छगनलाल दोनो एक ही व्यक्ति होने से प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी नाम सज्जनसिंह के स्थान छगनलाल की घोषणा की जानी आवश्यक है यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात का प्राथी खातेदार काश्तकार है, ऐसे में प्रथमदृष्टया मामला, एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा सज्जसनसिंह के स्थान पर छगनलाल दर्ज करने की घोषणा की जानी आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपुरणीय क्षती होगी। यह कि प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के बाद खोले गए नामान्तरण द्वारा राजस्व कर्मीयो द्वारा पुछ–परछ कर प्रार्थी कां घरेलु नाम दर्ज कर लिए है जबकि प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी छगनलाल पुत्र टेटीराम नाम दर्ज किए जाना आवश्यक है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर निम्न आश्य का आदेश फरमावे। गॉव निठाउवा के जमाबन्दी खाता सख्या 68 कें खसरा सख्या 135, 140, 141, 155, 302, 311, 317, 320, 322, 324, 325, 326, 344, 371, 382, 472, कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 3.5371 हैक्टेयर भूमि सज्जनसिंह पुत्र टेटा के स्थान पर छगनलाल पुत्र टेटीराम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। यह कि अन्य न्यायोचित अनुतोष जो धारा 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत हो प्रदान किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से राजीनामा पेश कर वादी का जमाबन्दी में दर्ज नाम सज्जनसिंह पुत्र टेटा के स्थान पर छगनलाल पुत्र टेटीराम दर्ज कराने सहमति जाहीर की गयी तथा राजीनामा तस्दीक करने हेतु निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब पेश हुआ, जिसमें प्रार्थी का जमाबन्दी में दर्ज नाम सज्जनसिंह पुत्र टेटा के स्थान पर छगनलाल पुत्र टेटीराम दर्ज किए जाने पर अनापत्ति जाहीर की है। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का प्रार्थना–पत्र एवं विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि गांव निठाउवा के जमाबन्दी खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 135, 140, 141, 155, 302, 311, 317, 320, 322, 324, 325, 326, 344, 371, 382, 472 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 3.5371 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खोतदार का नाम सज्जनसिंह पुत्र टेटा के स्थान पर छगनलाल पुत्र टेटीराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें।

(विवेक गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा